

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

न्यायालय अधिकारी :-
प्रकरण संख्या:-1240/20

जीसीएमएस नं. 2020/00129

हेमराज गुर्जर (आरएएस)
दायर दिनांक:- 01.07.20

उनवान

श्यामसुन्दर पुत्र साधुलाल जाति ब्राह्मण निवासी महू दलालपुर तहसील
हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

वादी

बनाम

देवकी पुत्री साधू जाति ब्राह्मण निवासी महूआपाली तहसील महवा जिला
मेसा राज0

प्रतिवादीगण-11

दावा बाबत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान
कार्यकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया
था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित
नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई
गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित
नहीं। प्रकरण दिनांक 01.7.2020 से आज दिनांक तक तलवाने में
विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील
प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं एवं वादीगण एवं वादीगण
वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0
1240/2020 श्यामसुन्दर बनाम देवकी आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत
अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया
कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)